संख्या-04/2023/333ई-2/तेरह-2023-1691187

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 15 फरवरी, 2023**

विषय: मेसर्स बिन्दल पेपर्स मिल्स लिमिटेड (आसवनी), ग्राम चंगीपुर, तहसील चांदपुर, चांदपुर, जिला बिजनौर को 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-293/दो-प्रा.डी.-234, दिनांक 08-02-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 08-08-02-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स पेपर्स मिल्स लिमिटेड (आसवनी), ग्राम चंगीपुर, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर द्वारा 150 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 495 लाख लीटर क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी जिसके अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./ अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/ नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) इकाई को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स दिनांक 17.08.2022 एवं उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड में जल एवं वायु हेतु प्रदत्त कन्सेन्ट टू इस्टैब्लिश दिनांक 07.09.2022 में उल्लिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**